2227223 Fax

②

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.25(5)चिस्वा / ग्रुप–2 / 175 / 2013 जयपुर, दिनांक : 01.10.2013

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– **निम्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मा. मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों की पालना में निम्न (02) दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं	क्रमोन्नत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को	पंचायत समिति का नाम	जिला
1	केलवा	राजसमंद	राजसमंद
2	चारभुजा (गढबोर)	कुम्भलगढ	राजसमंद

भवदीय

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव (पी), मुख्यमंत्री महोदय को उनके अशा. टीप क्रमांक : संयु.स(पी) / प–2 / चस्वा / राज / 13 / 95309 दिनांक 01.10.2013 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
6. शासन उप सचिव वित्त (व्यय–1) / बजट / आयोजना विभाग राज. जयपुर।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित / प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज. जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन उदयपुर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद
12. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. कम्प्यूटर सैल / एकल पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

01/10/13

सहायक लेखाधिकारी